क्यों UN मानवाधिकार ने CAA को लेकर SC में दाखिल की हस्तक्षेप याचिका

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

04 मार्च, 2020

"यह याचिका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बौद्धों, सिखों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को CAA द्वारा दिए जा रहे लाभों के औचित्य और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।"

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, "जहाँ इन्होंने 2019 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 1474 में हस्तक्षेप करने की माँग करते हुए यह अनुरोध किया है उन्हें आदेश XVII, सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 के नियम 3 के तहत प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति दी जाए।" यह मामला 'देब मुखर्जी और ओआरएस बनाम भारत और ओआरएस संघ (Deb Mukharji & Ors vs Union of India & Ors)' से जुड़ा है और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को चुनौती देने से संबंधित है।

घरेलू भारतीय कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का मामला किस आधार पर हस्तक्षेप करने की माँग कर रहा है?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार) मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की एक अग्रणी इकाई है। महासभा ने सभी लोगों के लिए सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी एक अद्वितीय जनादेश के साथ उच्चायुक्त और उनके कार्यालय को सौंपा है।

जहाँ एक तरफ संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य है, वही ओएचसीएचआर (OHCHR) वैश्विक मानव अधिकारों के प्रयासों का नेतृत्व करता है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर निष्पक्ष रूप से आवाज उठता है।

एक "स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट" में, जो कि याचिका का हिस्सा है और" न्यायालय मित्र (amicus curiae) थर्ड पार्टी के रूप में हस्तक्षेप करने की माँग करता है", उच्चायुक्त मिशेल बैश्लेट जेरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 48/141 के अनुसार, सभी मानवाधिकारों की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने और उस संबंध में आवश्यक वकालत करने के लिए उन्हें "अधिकार" देने की विनती की है।

यूएनजीए द्वारा 1994 में अपनाए गए इस संकल्प ने मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का पद सृजित किया था।

हस्तक्षेप याचिका में, उच्चायुक्त ने रेखांकित किया कि वह "संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी" हैं, जिनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के पालन को बढ़ावा देना है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू अदालतों का समर्थन करने के लिए उनके संवैधानिक या न्यायिक कार्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

अर्जी में कहा गया है कि पूर्व के उच्चायुक्तों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यायालयों की एक विविध श्रेणी के समक्ष कार्यवाही के भीतर विशेष सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों पर न्यायालय मित्र का संक्षिप्त विवरण संक्षिप्त प्रस्तुत किया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार के अंतर-अमेरिकी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

और राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और एशिया तथा लैटिन अमेरिका में अंतिम अपील अदालतें शामिल हैं।

हस्तक्षेप याचिका वास्तव में क्या कहती है?

OHCHR ने CAA के घोषित उद्देश्य का स्वागत किया है अर्थात् धार्मिक आधार पर उत्पीड़न से कुछ लोगों की सुरक्षा और आवश्यकताओं को सरल बनाना और अनियमित स्थिति में प्रवासियों सहित ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने की सुविधा प्रदान करना।

यह खुलेपन के इतिहास को भी स्वीकार करता है और भारत द्वारा जिस तरह से अपनी सीमाओं के भीतर अधिक सुरक्षित, गरिमापूर्ण जीवन की तलाश करने वाले व्यक्तियों को अपनाने के प्रयास किया जा रहा है उसका ये स्वागत करता है।" हालाँकि, सीएए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और प्रवासियों सहित शरणार्थियों के लिए आवेदन के संबंध में महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है।

हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के आवेदन और व्याख्या के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर विचार करना, साथ ही कानून के समक्ष समानता का अधिकार और भेदभाव पर रोक के साथ-साथ भारत में शरणार्थियों सहित प्रवासियों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर सीएए के प्रभाव पर भी विचार करना होगा।

भारत के मानवाधिकार दायित्वों के तहत राष्ट्रीयता के आधार पर कानून और गैर-बराबरी से पहले समानता के अधिकार के संबंध में इसकी अनुकूलता सहित, CAA महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों को उठाता है।

आवेदन स्वीकार करता है कि "राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का मुद्दा इस हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है, लेकिन इस बात पर भी जोर देता है कि किसी भी तरह से इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि इस संबंध में मानव अधिकारों से संबंधित चिंता नहीं है।"

यह याचिका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बौद्धों, सिखों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को CAA द्वारा दिए जा रहे लाभों के औचित्य और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

क्या कोई विशिष्ट आधार है जिस पर उच्चायुक्त ने सीएए को दोष दिया है?

याचिका अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के कुछ केंद्रीय सिद्धांतों को चिह्नित करता है, जिसमें शामिल हैं: कुछ प्रवासियों पर सीएए का प्रभाव सभी प्रवासियों को मानवाधिकारों का लाभ मिलना और कानून के समक्ष समानता के लिए सभी प्रवासियों (गैर-नागरिकों) के अधिकार और गैर-वापसी का सिद्धांत जो शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की जबरन वापसी ऐसे देश में रोक देता है, जहाँ उनके उत्पीड़न की संभावना है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि सभी प्रवासी वे "अपनी जातीयता, धर्म, राष्ट्रीयता और/या आप्रवास स्थिति की परवाह किए बिना मानवाधिकारों का लाभ ले सकते हैं तथा सुरक्षा के हकदार हैं।"

यह गैर-भेदभाव, कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण को शामिल करने का आग्रह करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों का हवाला देता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के इस कदम पर भारत की प्रतिक्रिया?

मंगलवार (3 मार्च) को जारी एक प्रेस नोट में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा जिनेवा में हमारे स्थायी दूतावास को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख (मिशेल बैश्लेट) ने सूचित किया कि उनके कार्यालय ने सीएए, 2019 के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा, हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनता है। कुमार ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है।

उन्होंने कहा, यह भारत के विभाजन की त्रासदी से सामने आए मानवाधिकारों के मुद्दों के संबंध में हमारी तरफ से बहुत पहले जताई गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन से चलता है। हम सभी हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और उसमें पूरा भरोसा करते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में CAA को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की एक अग्रणी इकाई है।
2. संयुक्त राष्ट्र के तहत् 47 देशों को मिलाकर इसकी स्थापना 2005 की गई थी।
3. वैश्विक मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में तीन बार इसकी बैठक होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Recently the UN Human Rights has filed an Intervention Application. in Supreme Court regarding to CAA Consider the following statements related to UN Human Rights Council:

1. The United Nations High Commissioner for Human Rights is an apex United Nations unit on human rights.
2. It was established in 2005 under the United Nations by including 47 countries.
3. It meets three times a year to discuss issues related to global human rights.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 03 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (bz) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के द्वारा नागरिकता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना क्या भारत की संप्रभुता का हनन है? इस याचिका को दायर करने संबंधी प्रावधानों को भी दर्शाएं।
(250 शब्द)

Is petitioning by the United Nations Human Rights High Commissioner to the Supreme Court on the issue of citizenship a violation of India's sovereignty? Also indicate the provisions relating to filing this petition.
(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।